प्रकाशन का 41 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

निष्पक्ष एंव निर्भीक

शैल साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 41 अंक-35 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 29-05 सितम्बर 2016 मूल्य पांच रूपए

अवैध निर्माण नियमितिकरण में

क्या उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद राजभवन की स्वीकृति मिलेगी

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने इस मानसून सत्र के अन्तिम दिन नगर एंव ग्राम नियोजन अधिनियम 1977 में संशोधन पारित किया है। संशोधित अधिनियम में अवैध भवन निर्माणों को नियमित करने के लिये कुछ फीस का प्रावधान करके नियमितिकरण का रास्ता खोल दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर पूरे प्रदेश में भवन निर्माणों को नियोजित करने के लिये यह अधिनियम लागू है। नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों में तो इस अधिनियम से पहले से ही भवन निर्माणों को नियोजित करने की व्यवस्था लागू है। लेकिन इस सबके बावजूद भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन होता आया है और इस उल्लंघन को नियमित करने के लिये सरकार रिटैंशन पॉलिसियां लाकर ऐसे निर्माणों को नियमित करती रही। लोग नियमों का उल्लंघन करते रहे और सरकार उन्हें नियमित करती रही।

इस बार भी सरकार ने अध्यादेश जारी करके नियमितिकरण की योजना अधिसूचित की थी। इस योजना पर सभी क्षेत्रों से तीव्र आपत्तियां मुखरित हुई। यहां तक की नगर निगम शिमला के हाऊस ने ध्वनिमत से इस योजना पर अपना विरोध दर्ज करवाया। लेकिन इन सारे विरोधों/आपत्तियों को सिरे से खारिज करते हुये विधानसभा में सरकार ने इसे पारित करवा लिया। राज्यपाल की स्वीकृति के लिये भी भेज दिया गया है और स्वीकृति के बाद यह लागू भी हो जायेगा।

लेकिन इसी बीच प्रदेश उच्च न्यायालय की जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की खण्ड पीठ ने एक फैसले में इस प्रस्तावित नियमितिकरण को एकदम असंवैधानिक करार दे दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि - It is expected from the State to maintain rule of law. The action of the State Government to regularize the unauthorized construction/ encroachments is suggestive of non-governance. प्रदेश में इससे पहले सात बार रिटैन्शन पॉलिसियां सरकार ला चुकी है। अन्तिम बार 2009 में रिटैंशन पॉलिसी आयी थी। उस समय प्रदेश में 8198 मामले अवैध निर्माणों के थे जिनमे से 2108 निर्माण इस पालिसी के तहत नियमित हो गये थे और 6090 मामले बचे थे। लेकिन इस बार यह संशोधन लाते समय अवैधनिर्माणों की संख्या 13000 कही गयी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस रिटैंशन पॉलिसी के बाद सात हजार नये अवैध निर्माण खड़े हुए हैं। शिमला में दस-दस मंजिलें भवन खड़े हुए हैं। पांच और इससे अधिक मंजिलों वाले भवनों की सूची नगर निगम शिमला से कई बार विधानसभा पटल तक आ चुकी है। हर बार रिटैंशन पॉलिसी आने के बाद अवैध निर्माण रूकने के स्थान पर बढ़े ही हैं।

अवैध निर्माणों के नियमितिकरण पर चिन्ता जताते हुये अदालत ने कहा है कि Thousands of unauthorized constructions have not been raised overnight. The Government machinery was mute spectator by letting the people to raise unauthorized constructions and also encroach upon the government land. Permitting the unauthorized construction under the very nose of the authorities and later on regularizing them amounts to failure of constitutional mechanism/machinery. The State functionary/machinery has adopted ostrich like attitude. The honest persons are at the receiving end and the persons who have raised unauthorized construction are being encouraged to break the law. This attitude also violates the human rights of the honest citizens, who have raised their construction in accordance with law. There are thousands of buildings being regularized, which are not even structurally safe.

The regularization of unauthorized constructions/ encroachments on public land will render a number of enactments, like Indian Forest Act 1927, Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 and Town and Country Planning Act, 1977 nugatory and otiose. The letter and spirit of these enactments cannot be obliterated all together by showing undue indulgence and favouritism to dishonest persons. The over-indulgence by the State to dishonest persons may ultimately lead to anarchy and would also destroy the democratic polity.,

इस परिदृश्य में अब जनता की निगाहें राजभवन पर टिकी हैं कि जनता और अदालत की चिन्ता व नाराजगी का सम्मान करते हुये माहमहिम इस संशोधन को स्वीकृति प्रदान करते हैं या वापिस लौटाते हैं। क्योंकि खेल विधेयक आजतक राजभवन में लंबित है।

मनी लौंडरिंग प्रकरण में

वक्कामुल्ला से लिया गया ऋण केवल कागजी कारवाई, ईडी जांच से उभरे संकेत

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के मनीलॉडरिंग प्रकरण में गिरफ्तार उनके एल आई सी ऐजेन्ट आनन्द चौहान की न्यायिक हिरासत चार दिन के लिये और बढ़ा दी गयी है। अब उन्हें सात तारीख को फिर अदालत में पेश किया जायेगा। इस बार फिर ईडी ने इस मामले की जांच अभी तक पूरी न होने का तर्क अदालत में रखा है। ईडी ने इस मामले की जांच में 23 मार्च को करीब आठ करोड़ की चल - अचल संपत्ति अटैच की थी। इस संपत्ति में वीरभद्र, प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य और अपराजिता कुमारी के कुछ एफडीआर, एलआईसी पालिसियां और कुछ बैंक खातों के अतिरिक्त ग्रेटर कैलाश में प्रतिभा सिंह के नाम मकान शामिल है। 23 मार्च के आदेश में सारा कुछ एलआईसी पालिसीयों और संशोधित आयकर रिर्टनज तथा सेब बागीचे की आये के गिर्द ही है। इस आदेश में वक्कामुल्ला चन्द्र शेखर से जुडे प्रकरण की जांच अभी तक पूरी न होने का स्पष्ट उल्लेख है।

वक्कामुल्ला चन्द्र शेखर से करीब चार करोड़ का मुक्त ऋण लेने का खुलासा प्रतिभा सिंह के चुनाव शपथ पत्र से सामने आया है। इसी खुलासे के बाद वक्कामुल्ला की एक कंपनी से विक्रमादित्य की कंपनी के नाम भी ऋण लिया जाना सामने आया है। महरौली में फार्म हाऊस की खरीद भी इसी के बाद सामने आयी है और इस प्रकरण की जांच अब सूत्रों के मुताबिक लगभग पूरी हो चुकी है। पिछले दिनों जब आनन्द चौहान की जमानत याचिका खारिज हुई थी उस आदेश में भी जांच को लेकर खुलासे सामने आये हैं। करीब 28 पन्नो के इस आदेश के मुताबिक वक्कामुल्ला से जो ऋण लिया दिखवाया गया है। उसकी प्रमाणिकता पर भी सन्देह है। ईडी के उच्चस्थ सूत्रों के मुताबिक यह सारा ऋण भी केवल कागजी कारवाई है और ऋण के माध्यम से इस धन का भी शोधन किया गया है। कुछ और स्थानों पर भी संपत्तियां होने की संभावना जताई गयी है। इस सबमें प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिहं की सक्रिय भूमिका से ही यह लॉडरिंग हुई है। इस लॉडरिंग में आनन्द चौहान तथा चन्द्र शेखर की भी भूमिका मानी जा रही है और इसी के स्पष्टीकरण के लिये इन सबको ईडी में तलब भी किया गया था। माना जा रहा है कि इस संद्धर्भ में भी एक और अटैचमैन्ट आर्डर जारी किया जा सकता है।

ईडी के प्रकरण के साथ ही सीबीआई की चार्जशीट का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में पहुंच चुका है और उसमें अन्ततः चालान दायर करने की अनुमति मिलेगी ही। इस चालान का ठोस आधार आनन्द चौहान और वीरभद्र सिंह के बीच 15.6.2008 को हस्ताक्षिरत हुआ एग्रीमैन्ट हैं। क्योंकि एक एग्रीमैन्ट विश्म्बर दास के साथ 17.6.2008 को होता है। दोनो अनुबन्धों की प्रमाणिकता संदिग्ध है तथा इनमें प्रयुक्त स्टांप पेपर तो नासिक प्रैस से आये ही बहुत बाद में हैं। अनुबन्धों को लेकर उठे यह सवाल ही पूरे प्रकरण की आपराधिक धुरी बन गये हैं। इन तथ्यों के आधार पर सीबीआई को चालान पेश करने की अनुमति मिलना तय माना जा रहा है। इस तरह वीरभद्र का यह सारा प्रकरण अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है। जंहा से कांग्रेस की राजनीति पर भी इसका असर पड़ना तय है क्योंकि इस प्रकरण में आरोप तय होने के साथ राजनीति में गर्माहट आ जायेगी।

बी.बी.एम.बी.से देय बकाया राशि के भुगतान मामले को शीघ्र हल के लिए ऊर्जा मंत्री से हस्तक्षेप करने का किया आग्रह: वीरभद्र

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उर्जा मंत्रालय से आग्रह किया है कि हिमाचल प्रदेश के वर्षो से लम्बित बी.बी.एम.बी. से देय बकाया राशि के भुगतान के मामले को शीघ्र हल करने में हस्तक्षेप किया जाए, ताकि समय रहते इस समस्या का न्यायसंगत

हल ढूंढा जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने देश के लोगों के व्यापक हित में सदैव अपना बलिदान दिया है, जिसकी भाखड़ा बांध व पौंग बांध जैसी राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं साक्षात् गवाह हैं, जिसमें प्रदेश के हजारों परिवारों को विस्थापित होना पड़ा।

मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ हुई बैठक में यह मामला उठाया। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त यह आवश्यक हो जाता है कि बी.बी.एम.बी. से देय बकाया राशि के भुगतान के मामले का हल करने के लिए पंजाब सरकार समय रहते आगे आए। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया कि इस मामले को न्यायसंगत हल करने में अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि दोनों राज्यों को इसका लाभ मिल सके।

प्रदेश में विद्यमान जल विद्युत क्षमता के शीघ्र दोहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपनाई जा रही कारगर नीति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश में छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को लागू करने में ऊर्जा मंत्रालय से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है, ताकि ऐसी परियोजनाओं का समय पर दोहन करके जनमानस तक इसका लाभ पंहुचाया जा सके।

शिमला जिला के ज्यूरी के समीप कोटला में स्थापित किये जा रहे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले को उठाते हुए मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि सतलुज जल विद्युत निगम के पास अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है, जिसका उपयोग इस कॉलेज को स्थापित करने में किया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश सरकार ने पहले ही यह मामला एस.जे.वी.एन.एल. तथा ऊर्जा मंत्रालय के साथ उठाया हुआ है, जिसमें उनके सहयोग की आवश्यकता है, ताकि इस भूमि पर कॉलेज के निर्माण का कार्य समय पर आरम्भ किया जा सके।

केन्द्रीय उर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश के इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। उन्होंने बैठक में उपस्थित ऊर्जा मंत्रालय के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिये कि बी.बी.एम.बी. से देय बकाया राशि के भुगतान के मामले में मध्यस्थता करने के लिए कारगर कदम उठाये जाएं, ताकि वर्षों से लम्बित मामलों को परस्पर सहयोग से सुलझाया जा सके।

बैठक में प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) तरूण श्रीधर ने प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर अन्य अधिकारियों के अलावा उर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव अर्चना अग्रवाल तथा मुख्यमंत्री के वरिष्ठ सलाहकार टी.जी. नेगी भी उपस्थित थे।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tenders on the form 6&8 are invited by the Executive Engineer Fatehpur Division HPPWD Fatehpur on behalf of the Governor of HP for the following works from the approved and eligible contractors enlisted in HPPWD.

Tender Schedule :-
1. Date time of receipt of application for tender form : 23-09-2016 upto 4:00PM
2. Date and time of issue of tender form: 24-09-2016 upto 5:00PM
3. Date time of receipt of tenders: 26-09-2016 10:30AM
4. Date and Time of opening of tenders: 26.09.2016 at 11:00 AM

The tenders form will be issued against cash payment (non-refundable) The Earnest Money in the shape of NSC/FDR Deposit at call of any of Post Office /Bank in H.P. duly pledged in the name of the Executive Engineer , Fatehpur Division HPPWD Fatehpur must accompany with each tender.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Form	Cost of Form	Time
1.	Construction of 1175.00mtrs Span PSC Box Girder Type Double Lane Bridge over Chhounchh Khad AT KM 90/240 ON Bharwain Chintpurni Khatiar Dantal road (MDR-42) under CRF (SH:- Providing Consutancy service for Geotechnical Investigation, survey investigation, all kind of soil exploration study on River behavior and bearing capcity)	375000/-	7500/-	One Month	350/-	Class D&C
2.	Chanalization Crate work near the the stone Crusher at Riyali (Providing and laying boulder apron for bed protection and construction of embankment)	369514/-	7400/-	One Month	350/-	Do-

TERMS AND CONDITIONS:-
1. The contractors /firms should posses the following documents (Photocopy to be attached)
(i) Latest renewal of enlistment.
(ii) PAN (Permanent Account No.)
(iii) Registration under HP General Sale Tax Act, 1968 (TIN. NO)
2. Ambiguous /telegraphic/conditional tenders or tenders by Fax /E-mail shall not be entertained/considered in any case.
3. The Executive Engineer reserves the right to reject cancel any or all the tenders without assigning any reasons.
4. Only two tenders shall be issue to each contractor.

Adv. No.-2073/16-17 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड की उप-समिति के गैर सरकारी सदस्य मनोनित

शिमला/शैल। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड की उप–समिति के लिए चार स्वतन्त्रता सेनानियों को प्रथम अगस्त, 2016 से 31 जुलाई, 2017 तक अध्यक्ष व गैर सरकारी सदस्य मनोनित किया है।

प्रवक्ता ने बताया कि सुशील चन्द रत्न, अजुध्या निवास, ज्वालामुखी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा को उप–समिति का अध्यक्ष मनोनित किया है, जबकि दुनी चन्द, गांव बडोग, डाकघर पटलान्दर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, सत्यमित्र बक्सी, सुपुत्र स्व. लक्ष्मण दास, लक्ष्मण भवन ऊना, तहसील व जिला ऊना व करम दत्त कश्यप सुपुत्र आलमु राम, गांव भालवग, डाकघर जनेड़घाट, उप–तहसील जुन्गा, जिला शिमला को सदस्य मनोनित किया है। उन्होंने बताया कि अवर सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार उप–समिति के पदेन सचिव होंगे।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
सुशील
रजनीश शर्मा
भारती शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

टापरी में उप-तहसील तथा उरनी में खुलेगा पॉलीटैक्निक महाविद्यालय :मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किन्नौर जिले के टापरी के लिए उप–तहसील तथा उरनी में पॉलीटैक्निक महाविद्यालय खोलने की घोषणाएं की।

मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उरनी के भवन का लोकार्पण करने के उपरान्त उरनी में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए की। उन्होंने इस पाठशाला में आगामी शैक्षणिक सत्र से विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि समस्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में चरणबद्ध तरीके से विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ की जाएंगी।

वीरभद्र सिंह ने टापरी पुलिस पोस्ट को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि टापरी में पॉलीटैक्निक कालेज उन विद्यार्थियों को लाभान्वित करेगा, जो वर्तमान में रोहडू अथवा अन्य पॉलीटैक्निक महाविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थी इस महाविद्यालय की सुविधा आगामी सत्र से प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने राजकीय उच्च पाठशाला बाड़ी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तथा राजकीय माध्यमिक पाठशाला बड़ाकम्बा व छोलटू को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने की घोषणाएं की।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि कृषि पद्यति में बदलाव तथा खेतों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए पक्की नहरों का निर्माण समय की आवश्यकता है ताकि बहते जल के रिसाव को रोककर भू–स्खलन पर नियंत्रण पाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने संस्कृति, परम्पराओं एवं रीति–रिवाजों के संरक्षण पर बल देते हुए कहा कि संस्कृति एवं परम्पराएं हमारी पहचान है तथा वे सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं, जिन्होंने अपनी परम्पराओं व मूल्यों को सहेज कर नहीं रखा है।

उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उरनी तथा महिला मण्डल उरनी को सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से प्रत्येक को 15 हजार रुपये की राशि की घोषणा की।

विधानसभा उपाध्यक्ष जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य के समूचे जनजातीय क्षेत्रों का विकास वर्तमान एवं सतासीन रही कांग्रेस सरकारों को जाता है। उन्होंने कहा कि सभी गांवों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ा जाएगा और इसके प्रयास जारी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र की मांगे भी रखीं। उन्होंने राजकीय उच्च पाठशाला बाड़ी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में तथा राजकीय माध्यमिक पाठशाला बडाकम्बा एवं छोलटू को राजकीय उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।

उन्होंने भूमिहीनों को नौतोड़ भूमि की पुन: स्वीकृतियां बहाल करने के लिए राज्य सरकार का आभार जताया, जिसे पूर्व भाजपा सरकार ने वापिस ले लिया था। उन्होंने नौतोड़ स्वीकृति के लिए समय सीमा बढ़ाने की भी अपील की ताकि छूटे हुए भूमिहीनों को लाभान्वित किया जा सके।

राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने किया 6524 मामलों का निपटारा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने 6524 मामलों का निपटारा किया है, जिनमें 5638 नए मामले, जबकि 886 मामले हि.प्र. उच्च न्यायालय से प्राप्त हुए थे।

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने 28 फरवरी, 2015 से कार्य आरम्भ किया था और वर्तमान में दो बैंच कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त, 2016 तक कुल 16787 मामले दाखिल हुए हैं, जिनमें 10436 नए मामले तथा 6351 मामले हि.प्र. उच्च न्यायालय से स्थानांतरित मामले शामिल हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने इस अवधि के दौरान 93 अवमानना याचिकाएं, 10 समीक्षा याचिकाएं, 4 एक्स याचिकाएं और 2955 विविध आवेदनों का भी निपटारा किया है।

उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल ने 2009 से पहले के पुराने मामलों का प्रत्येक मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार को प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने का निर्णय लिया है ताकि लम्बित मामलों को निपटाया जा सके।

प्रदेश में हो रहे विकास कार्य पचा नहीं पा रही भाजपा:संजय ठाकुर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने भाजपा के उन नेताओं की कड़ी आलोचना की है जिन्होंने युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह की रैलियों पर सवाल उठाये हैं।

शिमला संसदीय क्षेत्र के अध्यक्ष संजय ठाकुर ने जारी एक ब्यान में भाजपा प्रवक्ता डा. राजीव बिन्दल के ब्यान की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्हें राजनैतिक चश्मा उतारने की जरूरत है। प्रदेश में हो रहे विकास कार्य भाजपा पचा नहीं पा रही है।

संजय ठाकुर ने कहा है कि युवा कांग्रेस की प्रदेश में मिशन रिपीट रैलियों से साफ है कि प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ जितने भी षडयंत्र रच लें, इसमें वे कभी भी सफल नहीं होंगे। प्रदेश सरकार मजबूती के साथ विकास कार्यो को अंजाम दे रही है। युवा कांग्रेस की जनचेतना रैलियों से लोगों का कांग्रेस के प्रति उत्साह बढ़ा है।

मुख्यमंत्री द्वारा शिमला के लिए शीघ्र हवाई सेवाएं बहाल करने का आग्रह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने नई दिल्ली में केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू पुसापति से भेंट कर शिमला के लिए हवाई सेवाएं जल्द आरम्भ करने सहित राज्य हित के कई अन्य मामलों पर चर्चा की। उन्होंने विशेष तौर पर शिमला के लिए हवाई सेवाएं आरम्भ करने का मामला उठाते हुए कहा कि इस सन्दर्भ में कई बार आग्रह किया जा चुका है लेकिन भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा कि शिमला हवाई अड्डे का निर्माण 1987 में किया गया था और विभिन्न हवाई सेवाएं जैसे वायुदूत, जैक्सन, एयर डेकन और किंगफिशर सितम्बर, 2012 तक नियमित तौर पर यहां उड़ानें भरती रहीं।

एयरपोर्ट प्राधिकरण की ओर प्रदेश की राजधानी को हवाई सेवा आरम्भ करने की इजाजत नहीं देने पर अप्रसन्न्ता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला हवाई अड्डे को चौड़ा करने का कार्य पूरा किया जा चुका है और अब यहां ए.टी. आर.-72 विमान को उतारने की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप की मांग करते हुए उत्तर पूर्व राज्यों की तर्ज पर शीघ्र हवाई सेवाएं आरम्भ करने का आग्रह किया ताकि इस विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को हवाई सेवा प्रदान की जा सके।

वीरभद्र सिंह ने गग्गल और कुल्लू हवाई अड्डों के सुदुढ़ीकरण का मामला भी उठाया और केन्द्रीय मंत्री का अवगत करवाया कि राज्य सरकार न्यूनतम ईंधन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है तथा नागरिक उड्यन ईंधन पर केवल एक प्रतिशत वैट वसूल किया जा रहा है जो देश में सबसे कम है। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि हवाई सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवायेगा। देश में बेहतर क्षेत्रीय क्नैक्टिविटी प्रदान करने की केन्द्र सरकार की प्राथमिकता के मद्देनजर उन्होंने केन्द्र से उत्तर पूर्व की तर्ज पर हवाई सेवाओं का किराया कम करने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने पुसापति को अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के लिए भारत सरकार के पर्यटन विभाग की स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये की एक परियोजना केन्द्र सरकार को सौंपी है। उन्होंने आग्रह किया कि इस प्रस्ताव पर शीघ्र विचार किया जाए ताकि योजना के अन्तर्गत राज्य को धनराशि मिल सके।

केन्द्रीय नागरिक उड्यन मंत्री अशोक गजापति राजू पूसापति ने हवाई अड्डा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों को शीघ्र अधिसूचित होने वाली क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत शिमला को शीघ्र उड़ाने आरम्भ की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि देश के लोगों के हित में बेहतर हवाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए किसी भी राज्य के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।

हि.प्र.पर्यटन विकास निगम ने वृक्षारोपण करके मनाया 45वां स्थापना दिवस

शिमला/शैल। हि.प्र. पर्यटन विकास निगम का 45वां स्थापना दिवस प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर निगम के उपाध्यक्ष हरीश जनारथा, प्रबन्ध निदेशक दिनेश मल्होत्रा तथा हि.प्र. पर्यटन विकास विकास निगम निदेशक मण्डल के सदस्यों ने शिमला, मनाली, चिन्तपूर्णी, बड़ोग, धर्मशाला, कुल्लू और नारकण्डा में वृक्षारोपण किया। इसके अतिरिक्त, पर्यटन विकास निगम के होटलों में ठहरने वाले अतिथियों को सम्मानार्थ एक व्यंजन भी परोसा गया तथा पुष्प भेंट कर उनका सत्कार किया गया।

होटल हॉलीडे होम शिमला, होटल कुंजम-मनाली तथा होटल धौलाधार -धर्मशाला में आने वाले प्रथम अतिथियों को पहली सितम्बर, 2016 को एक दिन का नि:शुल्क ठहराव प्रदान किया गया। हि.प्र. पर्यटन विकास निगम मार्किटिंग कार्यालयों का भ्रमण करने वाले अतिथियों का मिठाईयों के साथ स्वागत किया गया। निगम की परिसम्पत्तियों को इस विशेष दिवस के अवसर पर प्रकाशमान व सुसज्जित किया गया था। निगम की गत चार दशकों के दौरान उपलब्धियों को याद करने, उनका सम्मान करने तथा मनाने के लिए प्रत्येक परिसर में कर्मचारी इकटठे हुए तथा भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की गई।

प्रथम सितम्बर, 1972 को अस्तित्व में आने के उपरान्त से निगम ने हिमाचल प्रदेश में घरेलू एवं विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक उत्प्रेरक, परिसंचालक एवं मुख्य प्रस्तावक के रूप में कार्य किया है।

निजी कम्पनियों ने विभिन्न स्थानों पर पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को केवल हि.प्र. पर्यटन विकास निगम द्वारा निजी उद्यमियों को दर्शाए गए मार्ग के उपरान्त ही आरम्भ किया। हि.प्र. पर्यटन विकास निगम ने हिमाचल प्रदेश के कम जाने जाने वाले क्षेत्रों को पर्यटन के लिए खोला तथा पर्यटकों के लिए इनका प्रचार किया। बीते वर्षो के दौरान निगम ने अपनी गतिविधियों का विस्तार एवं विविधिकरण करके, अपनी कार्यशैली को व्यापक रूप देकर राज्य के बहुआयामी सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

हि.प्र. पर्यटन विकास निगम ने इस खूबसूरत पर्वतीय प्रदेश हिमाचल में आगंतुकों को सुरक्षित एवं आरामदायी आवास एवं परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए अपने आप को एक प्रसिद्ध ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। निगम 1507 कर्मचारियों के साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 60 होटल, 10 कैफे, 2 क्लब हाऊस तथा वॉल्वों एवं डीलक्स बसों के बेडे का संचालन कर रहा है।

हि.प्र. पर्यटन विकास निगम ऐसे पर्यटकों को जो शिमला तथा मनाली में हरित शुल्क अदा कर रहे हैं तथा निगम के होटलों में ठहर रहे हैं, को कमरे के किराए में हरित शुल्क के बराबर छूट प्रदान करने पर प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है, ताकि अतिथियों शुल्क के अतिरिक्त बोझ से बचाया जा सके।

सेब की 75.06 लाख पेटियां विभिन्न मण्डियों को भेजी गई

शिमला/शैल। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि 31 अगस्त, 2016 तक 16672 ट्रकों के माध्यम से सेब की 75,06,094 पेटियां देश की विभिन्न मण्डियों को भेजी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सेब प्रापण के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न भागों में अभी तक 253 एकत्रण केन्द्र खोले हैं, जिनमें 135 केन्द्र एचपीएमसी ने तथा 118 केन्द्र हिमफेड द्वारा खोले गए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि इन एकत्रण केन्द्रों के माध्यम

से अभी तक 2802.590 मीट्रिक टन सेबों का प्रापण किया जा चुका है।

किन्नौर में 27 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जनजातीय जिला किन्नौर के दौरे के पहले दिन 27 करोड़ रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए, जिनमें उरनी डांक के समीप सतलुज नदी पर 6.13 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित दो वैली पुलों, 3.32 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उरनी के भवन तथा सांगला में 1.24 करोड़ रुपये की लागत से बस अड्डे का लोकार्पण शामिल है। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निगुलसरी के भवन का भी लोकार्पण किया।

वीरभद्र सिंह ने 74 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली जल आपूर्ति योजना टापरी के स्तरोन्नयन की भी आधारशिला रखी, जिससे क्षेत्र के 1400 लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने 7.51 करोड़ रुपये की लागत से कल्पा के लिए निर्मित होने वाली खरोगला-कुपा बहाव सिंचाई योजना की आधारशिला रखी, जिससे क्षेत्र के 9 गांवों की आबादी लाभान्वित होगी। उन्होंने सांगला में 26.50 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले टैक्सी स्टैंड एवं पार्किंग की आधारशिला भी रखी।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 से 2.45 करोड़ रुपये की लागत से स्तरोन्नयन किए जाने वाले निचार वाया पानवी वांगतु सम्पर्क मार्ग तथा 5 करोड़ रुपये की लागत से रांगले-मीरू सड़क के स्तरोन्नयन के लिये भूमि पूजन किए।

पत्रकार समाज का आईना है:किरनेश जंग

शिमला/शैल। पांवटा साहिब : विधायक चौधरी किरनेश जंग ने कहा कि समाज के लिए मीडिया की अहम भूमिका होती है और मीडिया को अपनी भूमिका सही तरीके से निभाते रहना चाहिए। वह दून प्रेस क्लब के प्रथम वार्षिक सम्मान समारोह बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होने कहा कि समाचार पत्रों व चैनलो के लिए काम करने वाले पत्रकारों को पूरी खोजबीन के बाद समाचार भेजना चाहिए। पत्रकार समाज का आईना होता है जो जन-जन की समस्याओं को उठाते है। जिससे हम लोगो को भी इसकी जानकारी मिलती है। इस मौके विशिष्ट अतिथि एसडीएम हरि सिंह राणा ने कहा कि पत्रकार अगर सही भूमिका निभाए तो समाज में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते है।

उन्होने कहा कि मीडिया के माध्यम से उठने वाली लोगो की समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार व प्रशासन हमेशा तैयार रहता है। मगर मीडिया को पक्षपात पूर्ण खबरें देने से बचना चाहिए। क्योंकि सकारात्मक सोच से समाज व देश का भला होता है।

दून प्रेस क्लब ने प्रथम वार्षिक सम्मान समारोह में 17 ऐसी विभूतियों को सम्मानित किया जिन्होने अपने-अपने क्षेत्र मे उत्कृष्ट कार्य किया है।

उच्च गुणवत्ता वाले रूटस्टॉक तथा फल पौधे किए जाएंगे आयात

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार 1169.15 करोड़ रुपये की विश्व बैंक पोषित ''हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना'' के अन्तर्गत शीतोष्ण फलों की उन्नत प्रजाति के रूटस्टॉक तथा फल पौधों का आयात करेगी। यह निर्णय प्रधान सचिव (उद्यान) जे.सी. शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में लिया गया।

बैठक में निर्णय लिया गया कि विभागीय फल पौधशालाओं में रूटस्टॉक एवं रूटस्टॉक आधारित उन्नत किस्म के रोगरहित व चिन्हित फल पौध सामग्री का प्रवर्धन किया जायेगा, ताकि फल उत्पदकता में बढ़ौतरी के साथ-साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हिमाचल प्रदेश का नाम फल उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाये। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए फलों की सघन खेती पर बल दिया, जिसके तहत लगभग 350 करोड़ रुपये की राशि जल सिंचाई सुविधा पर व्यय की जायेगी। इसी दिशा में बागवानी का विकास समूह (कल्स्टर) रूप में किया जायेगा और बागवानी क्षेत्र में विकास के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें भी ली जायेंगी।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी वर्षो में उन्नत प्रजाति के फल पौधों का रोपण कर विभागीय पौधशालाओं को प्रदर्शन-स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा ताकि प्रदेश के बागवान/किसान इसका लाभ उठा सकें। बैठक में उपस्थित प्रगतिशील बागवानों ने विभिन्न फलों व रूट-स्टॉक को लेकर अपने अनुभव के आधार पर विदेशों से आयात करने बारे बहुमूल्य सुझाव दिये।

यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है? यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है।......चाणक्य

सम्पादकीय

आप फिर संकट में

आम आदमी पार्टी की दिल्ली प्रदेश सरकार के माध्यम से ही पार्टी की छवि देश में बनेगी इसमें किसी को भी कोई सन्देह नहीं होना चाहिये। पार्टी और उसकी सरकार का जो आचरण दिल्ली में रहेगा उसी का सन्देश पूरे देश में जायेगा। इसी का प्रभाव हर प्रदेश में संगठन की ईकाईयां गठित करने में पड़ेगा।आम आदमी पार्टी अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन का ही प्रतिफल है इसमें भी कोई राय नहीं हो सकती। अन्ना आन्दोलन के दो ही बड़े मानक थे भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्ण प्रतिबद्धता और व्यक्तिगत आचरण की शुचिता।

इन मानकों पर यदि पार्टी और सरकार का आकलन किया जाये तो जो परिदृश्य उभरता है उसमें संकट के संकेत स्पष्ट उभरते दिख रहे हैं। अभी तक सरकार के पांच मन्त्रियों के खिलाफ कारवाई करने की नौबत आ चुकी है। जब तोमर की डिग्री को लेकर आरोप लगे थे तो काफी समय तक उसका बचाव किया गया। लेकिन अन्त में केजरीवाल को स्वीकारना पड़ा कि तोमर ने उन्हे गुमराह किया। अब संदीप कुमार के खिलाफ एक आपत्ति जनक सी.डी. सामने आने पर उसे पद से हटाया गया है। इस पर संदीप कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि उसे दलित होने के नाते फसाया गया है। संदीप की यह प्रतिक्रिया एकदम हल्की और रस्मी है। क्योंकि जब भी किसी दलित राजनेता के खिलाफ गंभीर आरोप आते हैं तो सबसे सुलभ प्रतिक्रिया दलित होने की ही आती है। बंगारूलक्ष्मण ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन इसमें केजरीवाल की यह प्रतिक्रिया की संदीप के आचरण से पूरे आन्दोलन के साथ धोखा हुआ है एक महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति है। अभी तक जितने भी मंन्त्रियों और विधायकों के खिलाफ आरोप आये हैं उनके खिलाफ कारवाई करने में संकोच नही किया गया है यही एक सरकार की कार्यशैली का सबसे प्रभावी प्रमाण रहा है। लेकिन संगठन के स्तर पर अभी तक कोई ऐसी ही कारवाई सामने नहीं आ पायी है। यह आने वाले समय में चिन्ता और चर्चा का विषय बनेगा। इस पर यह तर्क ग्राहय नहीं होगा कि भाजपा और कांग्रेस में ऐसे ही मामलों पर क्या कारवाई हुई है। केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेन्द्र कुमार को लेकर भी कारवाई करने में देरी हुई है और आज यह सारे प्रसंग एक बड़ा सवाल बनकर सामने आ खड़े हुए हैं।

पंजाब में प्रदेश ईकाई के अध्यक्ष छोटेपुर के खिलाफ जिस तरह का आरोप लगा है उससे एक बड़ा विवाद खड़ा होता नज़र आ रहा है। क्योंकि मान का बचाव जिस तर्क पर किया जा रहा है वह भी अपने में कोई बड़ा पुख्ता नहीं है। क्योंकि सांसद होने के नाते जो विडियो मान ने बनाये हैं क्या यदि कोई साधारण नागरिक उसी तरह का विडियो बनाता तो क्या उसके खिलाफ कारवाई की जाती? मान ने एक स्थापित संहिता का उल्लंघन किया है भले ही इसके पीछे उनकी कोई मंशा अन्यथा नहीं रही होगी। लेकिन इस आचरण पर सार्वजनिक खेद व्यक्त करने के बजाये उसे सही ठहराने का प्रयास स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि किसी भी स्थापित नियम/परम्परा का विरोध करके उसमें परिवर्तन लाने के लिये पहले वैचारिक धरातल तैयार करना आवश्यक है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भी प्राप्त नहीं है इस नाते उसके अधिकारों की अपनी एक सीमा है। उसी सीमा को लाघने के लिये दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिये। दिल्ली की जिस जनता ने आपको 70 में से 67 सीटों पर चुनावी विजय दिलायी है वह ऐसे आन्दोलन के लिये पूरा साथ देती। दिल्ली सरकार को पूर्ण अधिकार दिलाने के लिये जनान्दोलन का रास्ता अपनाया जाना चाहिये था। ऐसी मांग का विरोध कोई ना कर पाता। लेकिन आज अदालती लड़ाई में सारा परिदृश्य ही बदल गया है।

आज पूरे देश में संगठन खड़ा किया जाना है। देश कांग्रेस और भाजपा का विकल्प चाहता है। क्योंकि इन दलों के भीतर जिस तरह से धनबल और बाहुबल के प्रभाव के कारण विधान सभाओं से लेकर संसद तक अपराधिक मामले झेल रहे लोग माननीयों की पंक्ति में आ बैठें हैं उनसे छुटकारा पाना इनके लिये कठिन है। आम आदमी पार्टी को इस संस्कृति से बचने के लिये अभी से सावधान रहने की आवश्यकता है। पार्टी अभी संगठन के गठन की प्रक्रिया में चल रही है इसलिये संगठन में किसी को कोई भी जिम्मेदारी देने के लिये कुछ मानक तय करने होंगे और उनका कड़ाई से पालन करना होगा। आज संगठन के लिये राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष /संयोजक चाहिये। इस समय केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमन्त्री और संगठन के राष्ट्रीय संयोजक दोनों की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। लेकिन संगठन को खड़ा करने के लिये उन्हें बड़ी भूमिका में आना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष/ संयोजक के नाते भी सरकार पर पूरी नज़र रख सकते हैं। इस समय भी उन्होंने किसी भी विभाग की जिम्मेदारी अपने पास नहीं रखी है। ऐसे में वह दिल्ली की पूरी जिम्मेदारी सिसोदिया को सौंप सकते हैं और स्वयं राष्ट्रीय जिम्मेदारी के लिये मुक्त हो जाते हैं। इस समय संगठन में यदि तोमर और संदीप कुमार जैसे लोग अन्दर आ गये तो उन्हे आगे चलकर बाहर करना कठिन हो जायेगा।

हिमाचल में कमजोर वर्गों को मिल रही है सुगम विधिक सेवाएं

हि.प्र. राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, जिसका गठन वर्ष 1995 में किया गया था, राज्य में समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं समर्थ विधिक सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इसके अभाव में इन वर्गों को विधिक प्रतिनिधित्व तथा न्याय पहुंच शायद ही पूरी तरह मुमकिन हो पाती। यह भी सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि कोई भी नागरिक आर्थिक एवं अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न रह पाए। प्राधिकरण समान अवसरों के आधार पर न्याय प्रदान करने के लिए विधिक प्रणाली के संचालन के लिए लोक अदालतों का आयोजन कर रहा है।

• लोक अदालतों के माध्यम से 2.65 लाख मामलों का निपटारा
• विधिक सेवा क्लिनिकों के माध्यम से ग्रामीणों को बहुमूल्य सेवाएं

लोक अदालतों का आयोजन प्राधिकरण का मुख्य कार्य है। इनका आयोजन उच्च न्यायलय से लेकर उपमण्डल स्तर तक राज्य के 109 न्यायालयों में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य में समय-समय पर मुकद्दमों से पूर्व के मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालतों तथा लोक अदालतों का आयोजन भी किया जा रहा है।

राज्य में दिसम्बर, 2013 से अगस्त, 2016 तक लगभग 4 लाख मामले लोक अदालतों के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 2,64,748 मामलों का निपटारा 3799 लोक अदालतों में किया गया। धर्मशाला, मण्डी, शिमला तथा ऊना में स्थाई लोक अदालतों का गठन किया गया है, और राज्य में सचल लोक अदालतों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिनके माध्यम से अनेकों मामलों के निपटारे में मदद मिली है।

विधिक सहायता उन लोगों को प्रदान की जा रही है, जो विधिक प्रतिनिधित्व एवं न्यायपालिका प्रणाली की पहुंच को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। अप्रैल, 2015 मार्च 2016 के बीच विधिक सेवा के माध्यम से 1611 लोगों को लाभान्वित किया गया है। विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन भी प्राधिकरण की गतिविधियों में शामिल हैं। लोगों में विधिक जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से इन शिविरों का आयोजन दूरवर्ती क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों, अस्पतालों, मेलों, कारागारों तथा ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए आगे आएं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए उपमण्डल, जिला तथा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति स्तर पर कानूनविदों के पैनल बनाए गए हैं। वर्तमान में इसके लिए राज्य में 956 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है।

विधिक सेवाओं की लोगों तक सुगमता से पहुंच सुनिश्चित बनाने के लिए राज्य की 2628 ग्राम पंचायतों में विधिक सहायता क्लिनिक (ग्राम विधिक देखभाल एवं सहयोग केन्द्र) खोले गए हैं। इन केन्द्रों को रिटेनर अधिवक्ताओं तथा पैरा विधिक स्वयं सेवियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन स्वयं सेविओं को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। इन केन्द्रों में विधिक सलाह के अतिरिक्त अन्य सेवाएं जैसे जॉब कार्ड के लिए प्रार्थना पत्र तैयार करना, मनरेगा योजना के अन्तर्गत जागरूकता, ग्राम वासियों को याचिका के प्रारूप तैयार करने में सहायता प्रतिवेदन तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्रों को भरने आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही है।

विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक कौने में विधिक जागरूकता फैलाई जा रही है। शिविरों में घरेलु हिंसा, महिलाओं एवं बच्चों के साथ यौन शोषण, किशोर न्याय, लिंग भेदभाव, कार्य स्थल पर यौन शोषण, वरिष्ठ नागरिकों व अभिभावकों की सुरक्षा व देखभाल, बाल विवाह अधिनियम, दहेज, गरीबी उन्मूलन योजनाएं, मध्यस्थता एवं उपभोक्ता अधिकारों बारे जागरूक किया जा रहा है।

प्राधिकरण द्वारा नौवीं से ग्यारहवीं स्तर के विद्यार्थियों को भारत के संविधान के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करवाने के लिए हिन्दी तथा अंग्रेजी में चार पुस्तकें भी प्रकाशित की गई हैं। इन पुस्तकों में विशेषकर मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, न्यायिक प्रणाली व वैकल्पिक विवादों को सुलझाने इत्यादि की जानकारी दी गई है। तीव्रता से न्याय उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश में वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) स्थापित किए गए हैं। बिलासपुर, हमीरपुर, धर्मशाला, रिकांगपिओ, शिमला तथा ऊना जिले में एडीआर केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रदेश सरकार द्वारा सिविल तथा अपराधिक मामलों के लिए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत छोटे मामलों को निपटाने के लिए पंचायतों को शक्तियां प्रदान की गई हैं।

प्रदेश के सभी जिलों व उप-कारागारों में विधिक सेवाएं क्लिनिक स्थापित किए गए हैं जो पैरा लिगल कार्यकर्ताओं व रिटेनर अधिवक्ताओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। उत्तरी पूर्वी विद्यार्थियों के लिए सोलन, हमीरपुर तथा धर्मशाला में विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

– डॉक्टर सुभाष सी खूंटिया –

21 वीं शताब्दी की वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसे वातावरण में उन्नति कर सकती है जो रचनात्मकता एवं काल्पनिकता, विवेचनात्मक सोच और समस्या के समाधान से संबंधित कौशल पर आधारित हो। अनुभवमूलक विश्लेषण शिक्षा और आर्थिक उन्नति के मध्य सुदृढ़ सकारात्मक संबंध होते है। भारत में स्कूल जाने वालो की आयु 6 – 18 वर्ष के मध्य की 30.5 करोड़ की (2011 की जनगणना के अनुसार) की विशाल जनसंख्या है, जो कुल जनसंख्या का 25% से अधिक है। यदि बच्चों को वास्तविक दुनिया का आत्मविश्वास से सामना करने की शिक्षा दी जाए तो भारत में इस जनसांख्यिकीय हिस्से की संपूर्ण सामर्थ्य का अपने लिये उपयोग करने की क्षमता है।

संधरणीय विकास लक्ष्य 2030 को अंगीकार करने के बाद ध्यान माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक 'गुणवत्ता के साथ निष्पक्षता' पर स्थानांतरित हो गया है।

कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में अपने एक उद्बोधन में गुणवत्ता के महत्व पर इन शब्दों में जोर दिया था। "अब तक सरकार का ध्यान देश भर में शिक्षा के प्रसार पर था किंतु अब वक्त आ गया है कि ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता पर दिया जाए। अब सरकार को स्कूलिंग की बजाय ज्ञान पर अधिक ध्यान देना चाहिए।"

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी घोषणा की थी कि "देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता होगा।" स्कूलिंग की बजाय ज्ञानार्जन पर ध्यान स्थानांतरित करने का अर्थ इनपुट से नतीजों पर ध्यान देना होगा।

राज्य सरकारों की साझेदारी के साथ केंद्र द्वारा प्रायोजित एवं भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) ने आरम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने में यथेष्ट सफलता पाई है। आज देश के 14.5 लाख प्राथमिक विद्यालयों में 19.67 करोड़ बच्चे दाखिल हैं। स्कूली शिक्षा को बीच में छोड़ कर जाने की दर में यथेष्ट कमी आई है, किंतु यह अब भी प्राथमिक स्तर पर 16% एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 32% बनी हुई है, जिसमें उल्लेखनीय कमी करना आवश्यक है। एक सर्वेक्षण के अनुसार विद्यालयों से बाहर बच्चों की संख्या वर्ष 2005 में 135 लाख से घटकर वर्ष 2014 में 61 लाख हो गई, अंतिम बच्चे की भी विद्यालय में वापसी सुनिश्चित करने हेतु संपूर्ण प्रयास किये जाने चाहिए।

जैसा कि स्पष्ट है कि भारत ने स्कूलिंग में निष्पक्षता एवं अभिगम्यता सुनिश्चित करने के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि एक औसत छात्र में ज्ञान का स्तर चिंता का विषय है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) की पांचवी कक्षा के छात्रों की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पढ़ पाने की समझ से जुड़े प्रश्नों के आधे से अधिक प्रश्नों के सही जवाब दे पाने वाले छात्रों का प्रतिशत केवल 36% था एवं इस संबंध में गणित एवं पर्यावरण अध्ययन का आंकड़ा क्रमश: 37% एवं 46% है।

विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को सुधारने के लिये केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें नवीन व्यापक दृष्टिकोणों एवं रणनीतियों को बना रहे हैं। कुछ विशेष कार्यक्षेत्रों की बात करें तो अध्यापकों, कक्षा कक्ष में अपनाई जाने वाली कार्यविधियों, छात्रों में ज्ञान के मूल्यांकन एवं निर्धारण, विद्यालयी अवसंरचना, विद्यालयी प्रभावशीलता एवं सामाजिक सहभागिता से संबंधित मुद्दों पर कार्य किया जाना है।

अध्यापक

जहां बच्चे विद्यालयी शिक्षा का केंद्र होते हैं, बच्चों में ज्ञानार्जन सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक अध्यापक की होती है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत के साथ ही आरम्भिक कक्षाओं में अध्यापकों के 19.48 लाख पदों का सृजन किया गया हैं: इन पदों के लिये अध्यापकों की नियुक्ति से छात्र–शिक्षक अनुपात में 42% से 24% का सुधार हुआ है। यद्पि अब भी ऐसे विद्यालय हैं जिनमें अध्यापक केवल एक हो या उनकी संख्या अपर्याप्त हो। इसके लिये राज्य सरकारों को अध्यापकों के एक समान वितरण के लिये नियोजन करने की आवश्यकता है एवं सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों के स्थान पर दक्ष अध्यापकों की नियुक्ति के लिये एक वार्षिक कार्यक्रम रखा जाना चाहिये।

वर्तमान में सरकारी विद्यालयों में नियमित अध्यापकों में से 85% व्यावसायिक रूप से योग्यता संपन्न हैं। 20 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सभी अध्यापकों के पास अपेक्षित योग्यता है। सरकार आगामी 2 – 3 वर्षो तक शेष 16 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के सभी अधयापकों का पूर्णतया दक्ष होना सुनिश्चित करने के लिये तमाम कदम उठा रही है।

मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 में करवाए गए एक अध्ययन के परिणामों के अनुसार, अधयापकों की औसत उपस्थिति लगभग 83% थी। इसको बढ़ोतरी कर 100% तक लाने की आवश्यकता है।

सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनाओं, दोनों में अध्यापकों के जरूरत आधारित व्यावसायिक विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन प्रयासों को पूरा करने के लिये ऑनलाइन कार्यक्रमों की योजना भी है।

जरूरत है कि विद्यालयी तंत्र प्रतिभाशाली युवाओं को अध्यापन के क्षेत्र में लाए, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने चार वर्षीय समेकित बीए – बीएड एवं बीएससी – बीएड कार्यक्रमों की शुरुआत की है एवं श्रेष्ठ विद्यालयी तंत्र के माधयम से राष्ट्र निर्माण में ईमानदारी से रूचि रखने वालों का ध्यान आकर्षित करने के लिये इन कार्यक्रमों का प्रचार – प्रसार करने की आवश्यकता है।

कक्षा कक्ष में अपनाई जाने वाली कार्यविधियां

बच्चों में ज्ञान की समझ विकसित करने, कक्षा कक्ष प्रबंधन, प्रभावी छात्र शिक्षक संवाद, एवं निर्देशों की उत्तमताय संरचित अध्यापन एवं सीखने पर जोर देने वाली गतिविधियों के दृष्टिकोण से इन कार्यविधियों का सर्वाधिक महत्व है। इसके लिये छात्रों एवं अध्यापकों की कक्षा कक्ष में नियमित उपस्थिति पूर्वप्रतिबंध है। आईसीटी समर्थित शिक्षण और अधिगम के संदर्भ में सीखने की प्रक्रिया के परिणामों में स्पष्ट रूप से प्रत्येक कक्षा और प्रत्येक विषय के लिए संभावित शिक्षण परिणामों पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि यह शिक्षकों, विद्यालय प्रमुखों के द्वारा आसानी से समझा जा सके और इसे माता – पिता और समुदाय के बीच व्यापक रूप से प्रचारित किया जा सके।

समझ के साथ पठन के लिए अध्ययन के महत्व पर बल देने के एक प्रारूप के साथ वर्ष 2014 में सरकार के द्वारा शुभारंभ किए गए पढ़े भारत बढ़े भारत हेतु मजबूत बुनियाद की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्ययन को रोचक और लोकप्रिय बनाने के क्रम में सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय अविष्कार अभियान का शुभारंभ किया। इस पहल के माध्यम से विद्यालयों के पास आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थानों से परामर्शदाता के तौर पर अनुभव प्राप्त करने के अवसर होते हैं। हाल ही में प्रारंभ किए गये अटल अभिनव अभियान और अटल टिंकरिंग लैब से छात्रों के बीच महत्वपूर्ण विश्लेषण, सृजनात्मकता और समस्या को सुलझाने जैसी गतिविधियों को बल मिलेगा।

देश के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को आईसीटी से लैस किया जा रहा है ताकि बच्चों को पढ़ाने में आईसीटी का लाभ लिया जा सके और उनमें सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी साक्षरता में भी सुधार किया जा सके। द नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सिस (एनआरओईआर) और हाल ही में प्रारंभ किया गया ई – पाठशाला विद्यालय शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी डिजिटल और डिजिटल योग्य संसाधनों को एक साथ एक मंच पर ला रहा है।

मूल्यांकन और आकलन

एक छात्र की अध्ययन प्रगति का आकलन करना शिक्षक की प्राथमिक भूमिकाओं में से एक है। कक्षा में छात्रों के नियमित और निरंतर मूल्यांकन से अभिप्राय बच्चों और माता – पिता को प्रतिक्रिया देना, शिक्षक को प्रतिक्रिया और बच्चों के बीच अध्ययन समस्याओं के समाधान के लिए हल निकालना है। अध्ययन मूल्यांकन तंत्र पर आधारित एक शैक्षिक वातावरण वाली कक्षा में ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि शिक्षक और छात्र दोनों ही सीखने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

हमें क्या मूल्यांकन करना है इसमें सुधार किया जा सकता है। छात्र अपने अध्ययन में कितनी प्रगति कर रहे हैं और इसके साथ – साथ शिक्षा के संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के मामले में व्यवस्था का निष्पादन कैसा है इसके लिए मूल्यांकन पर आधारित कक्षा के साथ व्यापक स्तर पर उपलब्धि सर्वेक्षण को जानने की भी आवश्यकता होती है। सरकार ने एक प्रक्रिया की पहल की है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें सरकारी विद्यालयों, सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालय और निजी विद्यालय शामिल होंगे। इस सर्वेक्षण का प्राथमिक प्रायोजन निर्धारित अध्ययन लक्ष्यों की तुलना में छात्रों के प्रदर्शन को समझने के लिए विद्यालयों को एक अवसर प्रदान करना है। परिणामों के आधार पर विद्यालय सीखने के स्तर में सुधार करने के लिए एक विद्यालय स्तर की योजना तैयार करेंगे। इस तरह के सर्वेक्षण से शिक्षण परिणामों को सुधारने की दिशा में एक सकारात्मक परिवेश तैयार होगा। शिक्षकों और छात्रों की प्रतिक्रियाएं शीघ्रता से मिलेगी ताकि वे शिक्षण अंतरालों के समाधान के लिए समय से कारवाई कर सके, एक समयावधि के भीतर छात्रों के प्रदर्शन को समझ सकें और शैक्षिक व्यवस्था की स्थिति के बारे में पाठयक्रम निर्माताओं, शीर्षक प्रशिक्षण संस्थानों शैक्षिक प्रशासकों को एक व्यवस्थित प्रतिक्रिया प्रदान कर सकें। यह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक है।

विद्यालय प्रभावशीलता

विद्यालयों के प्रभावी ढंग से प्रदर्शन के लिए विद्यालय प्रमुख का सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को प्रधानाचार्यो के लिए एक पृथक कैडर बनाने के लिए कदम उठाने की सलाह दी है। एक पूर्णकालिक प्रधानाचार्य के क्षमता निर्माण से इस व्यवस्था को एक लक्षित तरीके से किया जा सकता है। भविष्य के विद्यालयों में प्रमुखों को प्रशिक्षण देने के लिए एनयूईपीए पर राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र ने एक प्रशिक्षण पैकेज तैयार किया है, जिसे पूरे देश में वर्तमान में कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों में भी नेतृत्व अकादमियों के गठन की योजना है जिससे उनके राज्यों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।

विद्यालयों का विभिन्न आयामों में निरंतर मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता है ताकि सुधाार की आवश्यकता का समावेशन किया जा सके। गुजरात में गुणोत्सव, मधयप्रदेश में प्रतिभा पर्व, राजस्थान में सम्बलन और ओडिशा में समीक्षा जैसी पहलें बेहतर उदाहरण है। एनयूईपीए द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शाला सिद्दी नामक एक व्यापक विद्यालय मूल्यांकन प्रारूप को तैयार किया गया है और नवंबर 2016 में इसका शुभारंभ कर दिया गया है। यह आत्म – मूल्यांकन और तीसरे पक्ष के मूल्यांकन का एक घटक है। अपनी सुधार योजनाओं को कार्यान्वित करने और उन्हें बनाने के लिए विद्यालयों के द्वारा आत्म – मूल्यांकन का उपयोग किया जाएगा।

छात्रों और शिक्षकों का समक्ष आधार डाटा बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इससे बच्चों के एक कक्षा से अगली कक्षा में जाने की प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाएगी और इस प्रकार से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की पहचान के लिए प्रणाली को सक्षम बनाया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पात्र बच्चे मध्याह्न भोजन, पाठय पुस्तकें और छात्रवृत्तियों को प्राप्त करने के साथ – साथ छात्र और शिक्षक की उपस्थिति की निगरानी भी की जाएगी।

विद्यालय बुनियादी ढांचा

सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से विद्यालय बुनियादी ढांचे के प्रावधानों के तहत उल्लेखनीय प्रगति की गयी है। एसएसए के प्रारंभ होने के बाद से 2.23 लाख प्राथमिक और करीब 4 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यालय भवन तैयार किए गए हैं। प्रत्येक विद्यालय में छात्राओं और छात्रों के लिए एक पृथक कार्यात्मक शौचालय होने के प्रधानमंत्री के आवाहन पर राज्यों, संघशासित प्रदेशों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों और निजी संस्थानों ने सकारात्मक प्रक्रिया व्यक्त की है। स्वच्छ विद्यालय पहल के अंतर्गत 4.17 लाख शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। शौचालयों को स्वच्छ, कार्यात्मक और बेहतर बनाए रखने को सुनिश्चित करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।

आज हम विद्यालयों को मात्र इमारतों और कक्षाओं के रूप में ही नहीं देखते हैं, एक स्कूल में मूल शिक्षण स्थितियों के साथ – साथ इसमें बिजली की व्यवस्था, कार्यात्मक प्रयोगशाला और पाठन स्थल, विज्ञान प्रयोगशालाएं, कम्पयूटर प्रयोगशालाएं, शौचालय और मध्याह्न भोजन को पकाने के लिए एलपीजी कनेक्शन भी अवश्य होना चाहिए। सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों को सलाह दी जा चुकी है कि वह वर्तमान वर्ष में सभी माध्यमिक विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था की सुनिश्चित करें जबकि शेष विद्यालयों को एक लघु अवधि की सीमा के भीतर शामिल किया जा सकता है।

सामुदायिक भागीदारी

एक व्यापक और विविधता से भरे देश में निर्णय लेना और जवाबदेही का विकेन्द्रीकरण ही सफलता की कुंजी है। विद्यालय शिक्षा के मामले में समुदाय विद्यालय प्रबंधन समितियों के माध्यम से विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब तक इन समितियों को विद्यालय भवन के निर्माण जैसी गतिविधियों के प्रावधानों में शामिल किया जा चुका है। इससे आगे बढ़ते हुए विद्यालय समितियों को मजबूत किये जाने की आवश्यकता होगी ताकि वे बच्चों के शिक्षण के लिए विद्यालय की जवाबदेही पर भी अपना नियंत्रण कर सके। माता – पिताओं और एसएमसी सदस्यों को कक्षावार शिक्षण लक्ष्यों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता होगी। एसएमसी बैठक, सामाजिक अंकेक्षण अथवा विद्यालय शिक्षा पर ग्रामसभा बैठकों जैसे प्रयासों को भी विद्यार्थी के अधययन में जोड़ने और उनका मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि माता – पिता और समुदाय के सदस्य आगे कदम बढ़ाते हुए अपने बच्चों के शिक्षण के लिए विद्यालयों की जवाबदेही पर नियंत्रण बना सकते हैं इसके लिए भाषा को आसानी से समझने के लिए शिक्षण लक्ष्यों को कक्षावार तैयार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और विद्यालयों के साथ – साथ इसके व्यापक प्रचार – प्रसार को प्रदर्शित करने की भी योजना है।

राष्ट्र के लिए आजादी के 70वें वर्ष की पूर्ण संध्या पर इस संदेश के माध्यम से कि यह संकल्प लेना चाहिए कि हमें विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के सकारात्मक अभियान में स्वयं को प्रतिबद्ध करना चाहिए। इस अभियान में सरकार, नागरिक समाज संगठन, विशेषज्ञों, माता – पिता, समुदायिक सदस्यों और बच्चों सभी के प्रयासों की आवश्यकता होगी। यही समय है जब विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के इस मुद्दे पर एक टीम इंडिया का गठन किया गया है ताकि 21 वीं सदी का आत्मविश्वास के साथ सामना करने के लिए अगली पीढ़ी को सक्षम बनाने हेतु एक ठोस बुनियाद का निर्माण किया जा सके।

पसूका

हिमाचल में BAके पहले स्मेस्टर में 98 फीसद स्टूडेंट्स फेल, मचा हाहाकार, गवर्नर, CM व VC सवालों में

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विवि में बीए के पहले स्मेस्टर में मूल्याकंन घोटाला हो गया और बीते सप्तााह जो रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें 98 फीसद छात्र –छात्राएं फेल हो गए हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय में गणित की 60 में से 60 की छात्राएं फेल हो गई है। आरकेएमवी वही कॉलेज हैं जहां की प्रिंसिपल कोई और नहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के ओएसडी व उनके पूर्व प्रधान निजी सचिव सुभाष आहलुवालिया की बीवी मीरा वलिया है।

विवि में कंट्रोलर ऑफ एग्जमिनेशन भी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के चहेते अफसर है वो मुख्य सचिव वी सी फरका के भी रिश्तेदार हैं। जबकि वीसी एडीएन वाजपेयी सचिवालय, राजभवन ही नहीं दिल्ली में मोदी सरकार के अलावा सोनिया के दरबार में भी रसूख रखते है।

शिक्षा का महकमा खुद मुख्यमंत्री

वीरभद्र सिंह के पास है, इसके बावजूद ये कांड हो गया है।

छात्रों के हाहाकार मचा देने के बाद विवि के वीसी एडीएन वाजपेयी ने हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया है।

कुलपति ने डीन कालेज डवलपमेंट परिषद एस.एस.चौहान की अध्यक्षता में पांच सदसीय जांच समिति का गठन किया है जिसमें परीक्षा नियन्त्रक डॉ.जे.एस.नेगी, राजकीय महाविद्यालय कोटशेरा के प्राचार्य डॉ. राजा राम, हिमाचल प्रदेश महाविद्यालय प्राध्यापक संघ के महासचिव डॉ.रामलाल शर्मा के अतिरिक्त विवि के सिस्टम एनालिस्ट डॉ.मुकेश कुमार सदस्य बनाए गए हैं। इस कमेटी में सब के सब सरकार के चहेते हे। स्टूडेंट में से किसी को कमेटी में नहीं लिया गया है।

वीसी ने जांच रिपोर्ट आने से पहले ही एलान कर दिया है कि जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं उन्हें तीसरे स्मेसटर की परीक्षा में बैठने दिया जाएगा।

शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह कांड हो उनकी रहे हैं उनकी बानगी वीसी ने जो संदेह जताए है उनमें ही हैं। वीसी वाजपेयी ने समिति से कहा है कि वो ये भी जांचे कि कहीं विवि के सॉफ्वेयर में ही तो कोई खराबी नहीं हैं। समिति यह भी जांच करेगी की कॉलेजों से जो अंक प्राध्यापकों द्वारा भेजे गए हैं वह अंक पूरी तरह विवि में पहुंचे भी है कि नहीं? उन्होंने कहा कि तीसरे बिन्दू में यह समिति उत्तर पुस्तिकाओं की भी जांच करेगी कि मूल्यांकन सही हुआ है या नहीं।

वीसी की ओर से ये संदेह उठाया जाना उन्हें ही सवालों में खड़ा करता है व शिक्षा के तंत्र की क्या गत कर दी है इसका भी खुलासा करता है। वीसी वाजपेयी पिछले पांच छह सालों से हिमाचल विवि के कुलपति है और शिक्षा का ये हाल कर दिया है।

मजे की बात है कि ये रिजल्ष्ट कालेजों ने नहीं विवि ने ही जिसके कुलपति खुद वीसी वाजपेयी हैं,ने घोषित किया है। ऐसे में सवाल ये है कि जब ये रिजल्ट घोषित करने के लिए तैयार हुआ तो क्या तब विवि प्रशासन को पता नहीं चला। विवि का तंत्र का क्या कर रहा है। टॉप पदों पर तासे सभी राजनीतिक तौर पर रसूखदार लोग बिठाए गए है। जब रिजल्ट तैयार हुआ तो क्या कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने उस पर साइन नहीं किए।

सबसे बड़ा सवाल प्रदेश के राज्यपाल आचाय देवव्रत को लेकर उठ रहा है। चूंकि सारे अफसर वीरभद्र सिंह के चहेते है, इसलिए वो इन्हें पूरा संरक्षण देंगे इसकी पूरी संभावना हैं। ये इस बात से साबित हो गया है कि वीसी ने जो कमेटी बनाई हैं उसमें उन्हीं के सारे चहेते शामिल कर दिए गए है। आखिर मोदी सरकार की ओर से हिमाचल भेजे गए आचार्य देवव्रत क्यों खामोश है।वो विवि के कुलाधिपति है। ऐसे में विवि में इतना बड़ा कांड हो जाए और गवर्नर कुछ न करे ये अपने आप आश्चर्यजनक हैं।

अब इस मसले पर छात्र संगठन तो सड़कों पर आ ही गए है भाजपा ने भी वीरभद्र सिंह सरकार पर हमला बोल दिया है। छात्र संगठनों ने विवि प्रशासन के खिलाफ विवि व कॉलेज परिसरों में आंदोलन शुरू कर दिए हैं।

वानरों को मारने पर वन विभाग देगा तीन सौ रुपये

शिमला/शैल। जिन क्षेत्रों में वानरों को पीड़ांक जन्तु घोषित किया गया है, वहां पर जंगलों से बाहर

वानरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग हर एक वानर के मारने पर 300 रुपये की राशि प्रदान करेगा।

यह जानकारी वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने देते हुए कहा कि वनों के बाहर वानरों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश की 38 तहसीलों व शिमला शहर में वानरों को पीड़ाक जन्तु घोषित किया गया था।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में संबंधित वन मण्डलाधिकारी, ए.सी.एफ. एवं वन परिक्षेत्रधिकारी की कमेटी गठित की गई है, जो इस तरह के दावों को सत्यापित करेगी।

कॉलेज परिसर के लिए बनाए गए भवन को खाली करने की मांग:ABVP

शिमला/शैल। राजकीय महाविद्यालय शाहपुर में छात्रों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के बैनर तले एक विरोध रैली निकाली। छात्रों ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश प्रशासन से कॉलेज परिसर के लिए बनाए गए भवन को खाली करने की मांग की। सी.यू.एच.पी. को ये भवन प्रदेश सरकार ने साल 2010 में लीज पर दिया था।

विद्यार्थी परिषद ने आरोप लगाया की महाविद्यालय के छात्रों को सरकार के इस फैंसले का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। गुस्साए छात्रों ने कहा कि उनकी कक्षाएं छात्रावास के लिए बने भवन में चल रहीं हैं। ABVP कॉलेज एकाई के छात्र नेता प्रशांत ने कहा कि तीन मंजिला यह भवन 1500 छात्रों के लिए बेहद छोटा है और इसी वजह से कक्षाएं भी सही ढंग से नहीं लग पातीं हैं।

उन्होंने कहा कि छात्रों के रहने के लिए बने छोटे–छोटे कमरों में कक्षाएं कैसे चल रहीं होंगी इसका अनुमान लगाना कोई कठिन बात नहीं है। छात्रों ने आरोप लगया कि उनके पास ना तो प्रयोगशालाएं हैं और ना ही कोई पुस्तकालय है। इसकी वजह से यहां पर पढ़ने वाले छात्रों को हर रोज अपने भविष्य की चिंता सताती रहती है। छात्रों को मौके पर समझाने पहुंचे कांगड़ा के ए.डी.एम. बलमीत ठाकुर ने कहा कि छात्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही कोई फैंसला लिया जाएगा और सभी समस्याओं का निपटारा करने की कोशिश की जाएगी। ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार की तरफ से एक टीम धर्मशाला पुहंच चुकी है और वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित जगह का निरीक्षण करेगी।

हिमाचल की राजनीतिक कमांड अंडरवर्ल्ड के पास:माकपा

शिमला/शैल। चार साल के युग के अपहरण और हत्या के बाद माकपा ने अब और मामलों का खुलासा करते हुए प्रदेश की मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अंडरवर्ल्ड ने प्रदेश में राजनीतिक कमांड संभाल ली है। उन्होंनें जनता का आह्वान किया कि अगर इस स्थिति से निपटना है तो आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार रहें बाकि अब कोई और रास्ता नहीं बचा हैं। अब जनता ही कुछ कर सकती है। अन्यथा अपराधी हर जगह हावी हो जाएंगे।

माकपा के पूर्व राज्य सचिव राकेश सिंघा ने राजधानी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बल्देयां का मेदराम नामक एक दलित अप्रैल महीने से गायब है लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। इसी तरह मशोबरा से एक और व्यक्ति गायब है। जबकि लोअरबाजार से ध्रुव नाम युवक का कोई पता पुलिस नहीं लगा पाई। सिंघा ने कहा कि नेरचौक से एक रामसरन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इन सब मामलों में एक चीज बिल्कुल समान है वो ये है कि जिन पर शक हैं उनके राजनीतिक लोगों से संबंध है।

सिंघा ने मांग कर दी कि युग समेत उपरोक्त सब मामलों में अगर जिन लोगों पर शक है उनके मोबाइल फोनों की कॉल डिटेल निकाल दी जाए तो सब सारे मामले सुलझ जाएंगे। उन्होंने युग व बाकी सभी मामलों में आरोपियों की कॉल डिटेल को सार्वजनिक करने की मांग कर दी है। ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन नेता किस–किस को बचा रहा है। सिंघा ने कि क्राइम के पीछे ड्रग्स माफिया और भूमाफिया है और उन्हें राजनीतिक, प्रशासनिक व कहीं कहीं न्यायिक संरक्षण भी हासिल है।

सिंघा ने कहा कि मजदूर प्रदेश की अदालतों में सड़ते रहते हैं उन उन्हें जमानत नहीं मिलती लेकिन कातिल खुलेआम घुमते है। उन्हें जमानतें भी मिल जाती है। मजदूरों को जेलें मिलती हैं।

सिंघा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वो माफियाओं व कातिलों को संरक्षण न दें वें उनकी पार्टी में जो संरक्षण दे रहा है उन्हें भी ऐसा करने से रोके। उन्होंने कहा कि युग के मामले में भी आरोपियों के फोन कॉल डिटेल को सार्वजनिक करें।

हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तंवर ने कहा कि बल्देयां के मोहनपुर गांव का मदराम पिछले 1 अप्रैल को साढ़े पांच से गायब है। वो दलित परिवार से हैं व प्रापर्टी डीलिंग का काम करता था। तब से लेकर अब तक उसका कोई पता नहीं चला है। परिजन एसपी से लेकर डीसी तक मिले लेकिन कोई सुराग नहीं मिला । उल्टे पुलिस परिवार वालों से ही पूछ रही है कि मिले कि नहीं। तंवर ने कहा कि अगर फोन कॉल की डिटेल खंगाली जाएं तो ये मामला भी सात दिनों के भीतर सुलझ जाएगा। लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है।

इस मौके पर मेदराम के बेटे महेंद्र ने पुलिस के कारनामों की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने कहा पुलिस ने फोन की लोकेशन चौक की तो उसके दो अप्रैल को लोकेशन बस स्टैंड के पास थी दूसरे दिन की लोकेशन क्रैगनेनों के पास मिली। लेकिन तब से लेकर अब तक किसी को कोई पता नहीं चला है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तब ढूंढनें को कहा तो केवल तीन पुलिस वाले आंए व 70–80 गांव वाले थे। पुलिस वाले सड़क से नीचे नहीं उतरे। महेंद्र ने कहा कि पुलिस कुछ नहीं करती।

तंवर ने इसी तरह नैरचौक के रामसरन की हत्या का मामला भी उठाया उन्होंने कहा कि रामसरन की हत्या कर दी। उनकी पत्नी कई दिनों से पागलों की तरह घर पर रही। जब उनकी बहन उसके पास गई और

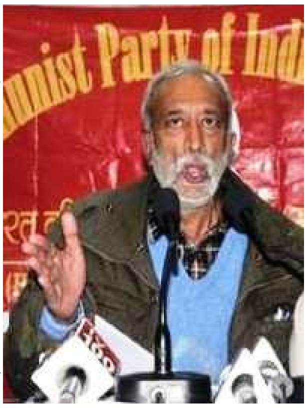

अस्पताल लाई तो अस्पताल ने छुट्टी दे दी। इसके बाद अब वो दहशत की स्थिति आईजीएमसी में है। उनकी बड़ी बहन हरदीप कौर ने कहा कि उनकी छोटी बहन कुलदीप कौर के साथ दुष्कर्म भी हुआ हो इससे इंकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वो बड़ी मुश्किल से बोल रही है। उसने कुछ लोगों के नाम भी लिए है लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है।

सीमा से सटी सड़कों के विस्तार के लिए वचनबद्ध सरकार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण छितकुल-दुमती सड़क के स्तरोन्नयन एवं निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। तिब्बत की सीमा से सटी यह सड़क

सैन्य बलों के लिए बड़ी मद्दगार होगी, विशेषकर सेना एवं भारत-तिब्बत सीमा पुलिस जिसकी सीमा के साथ 20 से अधिक चौकियां हैं। चीन सीमा की ओर दुमती में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की फ्रंट चौकियां हैं। 44.24 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली लगभग 20 किलोमीटर लम्बी यह सड़क रानी-कंडा से गुजरेगी।

छितकुल में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की चीन के साथ 220 किलोमीटर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा लगती है तथा 140 किलोमीटर लम्बी किन्नौर जिले के साथ, जबकि 80 किलोमीटर सीमा जनजातीय जिला लाहौल-स्पिति से लगती है।

मुख्यमंत्री ने रकछम-छितकुल सड़क के कार्य में देरी पर चिंता जाहिर करते हुए कार्य की पुनःनिविदाएं आमंत्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुमती सड़क का कार्य ऐसे ठेकेदार को दिया जाए, जो कार्य को तय समय सीमा के भीतर पूरा करे। उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार सालों तक कार्य को लटकाकर रखते हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकार सीमा से सटी सड़कों के सुदृढ़ीकरण को लेकर गम्भीर है, ताकि अत्यावश्यकता के दौरान सैन्य बलों को अच्छी स्थिति में रखा जा सके। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार ठंगी से कुन्नू-चारंग 20 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है और अभी तक 14 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा किया जा चुका है तथा इसके निर्माण पर 28 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। शेष बची 6 किलोमीटर सड़क का निर्माण आगामी दिसम्बर अन्त तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोटा से दोगरी एक अन्य सड़क भी निर्माणाधीन है और इस सड़क के निर्माण पर 12.50 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है। इस सड़क के निर्माण से सेना तथा आईटीबीपी को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से सैन्य बलों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे चीन के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अच्छे ढंग से निगरानी हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चीन की सीमा के साथ शिपकी-ला तक पहले ही सड़क का निर्माण किया जा चुका है। वीरभद्र सिंह ने पुराने लकड़ी के खम्बों तथा पुरानी तारों को बदलने के लिए हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड लि. के अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि क्षेत्र के लोगों को अच्छी बोल्टेज एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने राजकीय उच्च पाठशाला छितकुल को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्तरोन्नत करने तथा छितकुल व रकछम के लिए रकछम में नया पटवार वृत खोलने की घोषणाएं कीं।

पहली अक्तूबर से फोटो मतदाता सूचियों का विशेष पुन:निरीक्षण

शिमला/शैल। भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार राज्य चुनाव विभाग राज्य के सभी 68 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पहली अक्तूबर से 31 अक्तूबर, 2016 तक फोटो मतदाता सूचियों का विशेष पुन:निरीक्षण का कार्य करवा रहा है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र चौहान ने कि मतदाता सूचियों का विशेष पुन:निरीक्षण पहली जनवरी, 2016 को अर्हता तिथि मानते हुए किया जाएगा।

कार्यक्रम का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 01 अक्तूबर, 2016 को समस्त मतदान केन्द्रों तथा निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एडीएम/एसडीएम) तथा सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार) कार्यालयों में किया जाएगा, जबकि इन सूचियों पर दावे एवं आपत्तियां 01 से 31 अक्तूबर, 2016 तक दर्ज की जा सकेंगी, जिनका निपटारा 30 नवम्बर, 2016 तक किया जाएगा। मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 10 जनवरी, 2017 को किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियां ग्राम सभा तथा स्थानीय निकायों की बैठकों में 7 तथा 14 अक्तूबर, 2016 को नागरिकों की उपस्थिति में पढ़ी व सत्यापित की जाएंगी और नागरिक इन बैठकों के दौरान दावे एवं आपत्तियां भी प्रस्तुत कर सकेंगे।

चौहान ने कहा कि 16 अक्तूबर और 23 अक्तूबर, 2016 को राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा।

बाली को हराने के लिए नगरोटा बंगवा में डेरा डालेंगे वर्मा और ठाकुर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सर्व कर्मचारी, पैंशनर श्रमिक युवा बेरोजगार संयुक्त सघर्ष समिति के अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा तथा सचिव शंकर सिंह ठाकुर जो परिवहन निगम कर्मचारी महासंघ से प्रधान भी है दोनों नेताओं ने संयुक्त ब्यान में बताया है कि 19 सितम्बर 2016 को बिलासपुर में कर्मचारियों की रैली में वर्तमान कांग्रेस सरकार के विरूद्ध सघर्ष का ऐलान किया जाएगा। क्योंकि सरकार ने तीन साल नौ महीने में कर्मचारियों को जनवरी 2006 से 4.09.2014 का लाभ नहीं दिया और पैंशनरों को पंजाब के आधार पर वित्तीय लाभ नही दिए। श्रमिकों को पंजाब के आधार पर दिहाडी नही दी तथा युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। दोनो नेताओं ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह सभी वायदें किए थे। सेवानिवृत कर्मचारियों को नौकरी पर रखा है।

दोनों नेताओं ने बताया कि बिलासपुर में सयुंक्त संघर्ष समिति की बैठक हुई थी जिसमें फैसला लिया गया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में परिवहन मंत्री जी एस बाली को पराजित करने के लिए नगरोटा बंगवा में डेरा डालेंगे। वर्मा और ठाकुर ने यह भी मांग सरकार से की है कि परिवहन निगम में चालकों और परिचालकों की भर्ती की जांच होनी चाहिए। क्योंकि रोहड़ू, रामपुर और नगरोटा बंगवा से ही सौ से ज्यादा भर्ती हुई है। परिवहन निगम में भ्रष्टाचार चर्म सीमा पर है परिवहन मंत्री ने बसें तो खरीद दी परन्तु चालक और परिचालकों की भर्ती नही की है।

वर्मा और ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह भी सबसे बड़े कर्मचारी विरोधी और सबजबाग दिखाने वाले है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी सात कर्मचारी नेताओं को नौकरी से बर्खास्त किया था अब प्रदेश के लाखों कर्मचारी विधानसभा चुनाव में बर्खास्त कर देते है यह झूठ और फरेब की राजनीति प्रदेश में नहीं चलने देंगे।

शिमला की नष्ट होती बहुमुल्य कलाकृतियां

शिमला/शैल। शिमला की प्रबुधि जनता और अनेकों देशी विदेशी

पर्यटक शिमला की दीवार पर लगे म्यूरल-कम्बर मियर के पास हिमाचली लोग जीवन पर आधारित (बकरी व किल्टा) मूर्ति मिनी सचिवालय एंव दौलत सिंह पार्क की बहुचर्चित हिमबाला की अनदेखी पर खिन्न है।

लगभग सभी हिमाचली जीवन को दर्शाती कलाकृतियां पर बरसो से ना रंग रोगन हुआ है न मुरम्मत तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था भी नहीं है। हिमबाला के पैर के पास लगा यन्त्र कई वर्षो से टूटा पड़ा है। इस पर लगी नेम प्लेट भी उखाड़ दी गई है। नगर निगम के साधारण कर्मी इस पर रंग करते हैं जिन्हें कोई तकनीकी मूर्ति कला का ज्ञान नही है और न ही किसी दक्षमूर्तकार से कोई विर्मश या परामर्श लिया गया। जिसके कारण आने वाले समय में मूर्ति का Texture, रूप नष्ट हो जायेगा। चौडा मैदान व शिमला माल रोड पर लगी कलाकृत तथा लाजपत राय, गांधी तथा डा. परमार इत्यादि सभी मूर्तियां पर मनचाहे रंग होते रहते है और कहा जाता है कि मूर्तकार से निर्देश लिया गया है। इसका संज्ञान मुख्यमन्त्री भी ले चुके है।

दौलत सिंह पार्क की मूर्ति सैंकड़े देशी विदेशी हजारों पर्यटकों के लिये आकर्षण का केन्द्र तथा फोटोग्राफरों के आय का साधन रही है। यह मूर्ति भी क्षतिग्रस्त होती जा रही है। ये मूर्ति प्रथम बार Momento (स्मृतिचिन्ह) के रूप में टांडा मेडिकल कॉलेज, नगर निगम शिमला, हि.प्र. के राज्यपाल को तथा हाटुपीक के बनाने वाले मूर्तकार को समान के रूप में दी जा चुकी है जो एक गौरव का विषय है।

इससे पूर्व मुख्यमन्त्री शान्ता कुमार के समय 'हिमबाला' मूर्तकार प्रो. एम सी सक्सेना द्वारा बनाई मूर्ती के 300 मोडल धातु में नहान फाऊंडरी से ढलवाकर स्मृति चिन्ह के रूप में तत्कालीन प्रधान मन्त्री मुरारजी देसाई व उनके साथ आए अधिकारियों को दी गई।

हिमबाला मूर्ति भाव-अनुपात एंव टेक्चर की दृष्टि से भारत की अनमूवी मूर्ति हैं जिसमें कलाकार ने व्यहारिक रूप दिखाया गया है हिमाचल और दिल्ली के पर्यटन विभाग के डायरेक्टर तथा हिन्दी के प्रसिद्ध डायरेक्टर जो फांस के विश्व प्रसिद्ध ''लॉब्रे कला सग्रांलय'' की तुलना में अधिक आर्कषक और अच्छी बताते हैं।

''नक्श दीवारों पर लगे मिट जाऐंगे एक दिन, फिर बनाने कोई न आएगा।''

शिमले की मूर्तियां केवल मिट्टी या निर्जीव वस्तु की नहीं है।

यह सभ्यता का संरक्षण करती है इनके बगैर शिमला का सौंदर्यकरण अधूरा ही रहेगा।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री की विश्व बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक

शिमला/शैल। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स ने विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2048 तक शिमला की मांग के अनुरूप शिमला जलापूर्ति एवं मल निकासी योजना के लिए 643 करोड़ रुपये वित्तपोषण के लिये विश्व बैंक को भेजे गए प्रस्ताव के संबंध में आयोजित की गई।

स्टोक्स ने कहा कि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विश्व बैंक ने जलापूर्ति विशेषज्ञों का एक 6 सदसीय दल शिमला प्रवास पर भेजा है। उन्होंने कहा कि यह दल परियोजना से जुड़े तकनीकी, पर्यावरण, सामाजिक, संस्थागत एवं वित्तीय मुद्दों का पता लगाएगा। उन्होंने कहा कि दल ने अभी तक कोलडैम स्थल का दौरा किया है तथा शहर में वितरण प्रणाली का जायजा लिया है। यह दल शिमला में 24 घण्टे जलापूर्ति प्रदान करने के लिए तकनीकी जरूरतों का भी पता लगाएगा।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विश्व बैंक के प्रतिनिधि परियोजना के विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकों एवं परिचर्चाओं का आयोजन कर रहे हैं तथा शिमला जलापूर्ति एवं मल निकासी प्रणाली से जुड़े इंजीनियरों के साथ विस्तृत निरीक्षण एवं संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दल के सदस्य हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर सहमत हैं तथा विश्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाएंगे। इसके लिए विश्व बैंक अपने विशेषज्ञों के माध्यम से आवश्यक तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

वनभूमि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मनीलॉडरिंग के तहत कारवाई के निर्देश

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने वर्ष 2002 में सरकारी भूमि पर किये गये अवैध कब्जों/अतिक्रमणों को नियमित करने के लिये एक पॉलिसी अधिसूचित की थी। इसके तहत लोगों से कब्जों/अतिक्रमणों की जानकारी मांगी गयी थी। उस समय इस योजना के तहत करीब डेढ़ लाख लोगों ने बाकायदा शपथ पत्र देकर ऐसे कब्जों की जानकारी सरकार को दी थी। इतनी संख्या में हुए अतिक्रमणों की जानकारी सामने आने के बाद इस योजना को कुछ लोगों ने प्रदेश उच्च न्यायालय में CWP No. 1028 of 2002 के माध्यम से चुनौति दे दी। इस याचिका पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिये कि योजना के तहत प्रक्रिया तो जारी रखी जाये लेकिन इस आशय के पट्टे अदालत के अगले आदेशों के बिना जारी न किये जायें। यह याचिका अब तक अदालत मे लंम्बित है।

इसके बाद 2015 में अवैध कब्जों/अतिक्रमणों का मामला फिर एक और याचिका CWP 3141 of 2015 के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष आया। इस पर पहले जो अदालत ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए ऐसे अवैध कब्जों/अतिक्रमणों को खाली करने के लिये इन पर उगाये गये पेड़ो को काटने के निर्देश दे दिये । इन निर्देर्शों पर पूरे प्रदेश में खलबली मच गयी। कई स्थानों पर सैंकड़ो पेड़ काट भी दिये गये। इसी बीच सेब बागावानों ने सरकार पर दबाव बनाया और अदालत से निर्देशों में संशोधन की गुहार लगायी। सरकार के आग्रह को स्वीकारते हुए अदालत ने पेड़ों को काटने की बजाये उनकी प्रूनिंग करने के आदेश दिये। इन आदेशों के साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि अवैध कब्जों/अतिक्रमणों के तहत आयी एक-एक ईंच भूमि को खाली करवाया जायेगा। इसी के साथ यह भी निर्देश दिये की अवैध रूप से कब्जा/अतिक्रमण करके उगाये गये बागीचों की उपज को सरकारी तन्त्र अपने कब्जे में लेकर उसकी निलामी करवायेगा और पैसा सरकारी खजाने में जमा करवायेगा। मुख्य न्यायधीश जस्टिस मंसूर अहमद मीर और जस्टिस त्रिलोक चौहान की खण्डपीठ ने ऐसी की गयी निलामी और उसके तहत मिले पैसों पर सरकार से चार सप्ताह के भीतर जानकारी मांगी है और 17 अक्तूबर को मामला सुनवाई के लिये रखा है वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में ऐसी निलामी हुई है और इससे कितना पैसा मिला है इसकी जानकारी अभी तक विभाग के पास नही है।

दूसरी ओर उच्च न्यायालय में जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की खण्डपीठ के पास आये एक अवैध कटान के मामले में अदालत ने विशेष अदालत वन के फैसले को पलटते हुए अवैध कटान का दोषी पाये गये फारेस्ट गार्ड की सजा को बरकार रखा है। इसी फैसले में अदालत ने अवैध निमार्णो के नियमितिकरण को भी असंवैधानिक करार देते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगायी है। अदालत ने दस बीघे से अधिक के वन भूमि पर हुए अतिक्रमणों का कड़ा संज्ञान लेते हुए सरकार को ऐसे अतिक्रमणों को चिहिन्त करके ऐसे लोगों के खिलाख अपराधिक मामले दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। खण्डपीठ ने इसी फैसले में भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय के तहत कार्यरत ईडी को भी निर्देश दिये हैं कि जिन लोगों ने वन भूमि पर कब्जे कर रखें हैं ऐसे लोगों के खिलाफ मनीलॉडरिंग अधिनियम के तहत मामले दर्ज करके ऐसे अर्जित की गयी संपत्तियों को भी जब्त किया जाये।

इस समय प्रदेश में वन भूमि पर हुए अवैध कब्जों/अतिक्रमणों की स्थिति जो सरकार उच्च न्यायालय के समक्ष रख चुकी है उसके मुताबिक दस बीघे से अधिक का अतिक्रमण के मामलों की संख्या 2524 है। इसमें सबसे अधिक संख्या जिला शिमला की है यहां पर 1079 मामलों में दस बीघे से अधिक का अतिक्रमण है इसमें भी सबसे अधिक मामले 342 रोहड़ू के हैं। शिमला के बाद अतिक्रमणों में कुल्लु दूसरे स्थान पर है यहां इनकी संख्या 1004 है। इसी तरह दस बीघे से कम के अतिक्रमणों की संख्या 10182 है। इसमें भी 2970 के साथ शिमला पहले स्थान पर है। इसके बाद कुल्लु में 2386 और मण्डी में 1270 मामले रिकार्ड पर आये हैं। कांगडा में 1754, चम्बा में 626, सिरमौर में 532 बिलासपुर में 410 सोलन में 121 हमीरपुर में 44 किन्नौर में 55, लाहौल स्पिति में 10 और ऊना में केवल 4 मामले रिकार्ड पर आये हैं।

दस बीघे से अधिक के मामलों में शिमला कुल्लु के बाद किन्नौर में 135, मण्डी में 108, चम्बा में 74, सिरमौर में 68, कांगड़ा में 24, बिलासपुर में 14 लाहौल में 5 और सोलन में 1 मामला सामने आया है। ऊना और हमीरपुर में ऐसे अतिक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में वन भूमि पर अतिक्रमण के सबसे अधिक मामले रोहडू में सामने आये है और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व स्वयं वीरभद्र करते रहे हैं। यह स्थिति यह सवाल खड़ा करती है कि जब प्रदेश में हजारों बीघे वन भूमि पर अतिक्रमण हो रहा था तो सरकारी तन्त्र क्या कर रहा था। वीरभद्र ने तो कथित वन माफिया के खिलाफ खुली लड़ाई लड़कर प्रदेश की सत्ता संभाली थी। तो क्या इन अतिक्रमणकारियों को कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था जिसके चलते पूरा सरकारी तन्त्र पंगु बन गया था या फिर इनके साथ मिल गया था।

सरकारी तन्त्र के इसी पक्ष पर चोट करते हुए जस्टिस राजीव शर्मा और सुरेश्वर ठाकुर की खण्डपीठ ने दस बीघा से अधिक के अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मनीलॉडरिंग के तहत मामले दर्ज करने के निर्देश देते हुए संबधित वन अधिकारियों की चल अचल संपत्ति पर भी लगातार नजर रखने के विजिलैन्स को निर्देश दिये हैं। अदालत ने कहा है। The State Government has not made sincere efforts to prevent and evict the persons who have encroached upon the forest land. There are large tracts of forests, which have not been demarcated till date (i.e. UDF-). The State Government has only taken steps after the intervention of this Court to evict the persons who have unauthorizedly occupied the forest land and raised orchards. The action has been initiated primarily against those persons who had given affidavits admitting their encroachment upon the forest land. Thus, in larger public interest, the State Government is directed to initiate process to identify the encroachments over the forest land and the persons who have planted fruit bearing trees and to take necessary steps for their eviction under the H.P. Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971 as well as under the H.P. Land Revenue Act, 1954 and also to register FIRs against those persons under the Indian Forest Act and Indian Penal Code. The Director, Enforcement Directorate, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi is also directed to register cases against those persons who have encroached upon the huge tracts of forest land and have planted fruit bearing trees and amassed illgottenmoney and also engaged in money laundering within 3 months. The State Government is also directed to provide necessary details of the persons, who have encroached upon more than 10 bighas of forest land and have also indulged in money laundering within 4 weeks to the Director, Enforcement Directorate, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi to enable it to register cases against them. It shall be open for the Director, Enforcement Directorate, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi to confiscate /forfeit the property of the persons, who have encroached upon more than 10 bighas of forest land under the Prevention of Money-Laundering Act, 2002. The Vigilance Department of the State of H.P. is also directed to carry out periodical verification of movable and immovable properties of the revenue officials/forest officers posted, more particularly, in Districts Mandi, Shimla, Chamba and Sirmaur, where the encroachment on forest land is rampant, every 6 months. The State Government is directed to carry out the demarcation of un-demarcated forest (UDF) in the State of Himachal Pradesh within 1 year by maps prepared by electronic methods i.e. geomatics (remote sensing and GIS), GPS and satellite imagery, in H.P. larger interest. The Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh shall be personally liable to ensure implementation of the above mentioned mandatory directions . A copy of this judgment be sent to the Director, Enforcement Directorate, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi for its due compliance.

स्कैंडल की गप-शप

सीआईसी के लिये चहतों में प्रतिस्पर्धा

प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त कौन होगा यह सवाल एक बार फिर चर्चा में आ गया है इस बार चर्चा के कारण है कि एक तो सरकार ने इसके लिये चयन कमेटी का गठन कर दिया है। इसमें मुख्मन्त्री और नेता प्रतिपक्ष को पदेन सदस्य है। इनके साथ वरिष्ठ मन्त्री विद्या स्टोक्स को तीसरा सदस्य नामित किया गया है। इस पद के लिये करीब डेढ़ सौ आवेदन आये हुए हैं। इन्हे कैसे शार्ट लिस्ट किया जायेगा और उसके लिये क्या मानदण्ड रहेगा यह अभी तक स्पष्ट नही किया गया है।

इस चर्चा का दूसरा कारण है कि इसके एक प्रबल दावेदार प्रदेश लोकसेवा आयेगा के वर्तमान अध्यक्ष के एस तोमर है तोमर ने इस पद के लिये आवेदन कर रखा है लेकिन संविधान के मुताबिक लोकसेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष इस पद के बाद सरकार में कोई और पद स्वीकार नही कर सकते। तोमर के आवेदन पर इसी पद के एक अन्य प्रतिद्वंद्वी देवाशीष भट्टाचार्य ने महामहिम राज्यपाल को एक शिकायत भेज कर तोमर की दावेदारी पर एतराज जताते हुए उनके खिलाफ कारवाई की मांग कर रखी है। राजभवन से यह शिकायत सरकार के विधि विभाग के पास राय के लिये पहुंच चुकी है। विधि विभाग क्या राय देता है। इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

इस परिदृश्य में इस पद के अन्य दावेदार सक्रिय हो गये हैं। चनय कमेटी में बहुमत से फैसला होना है इसलिये मुख्यमन्त्री का आर्शीवाद जिसको प्राप्त होगा वही सीआईसी बन जायेगा । अब मुख्यमन्त्री के आर्शीवाद के लिये चहतों में ही प्रतिस्पर्धा रहेगी यह स्वभाविक है। इसमें कौन बाजीमार लेता है यह देखना दिलचस्प बन गया है क्योंकि इसमें वन विभाग के एक नेगी को सबसे ऊपर माना जा रहा है।

को-आपरेटिव बैंक की कंप्यूटर खरीद सवालों में

शिमला/शैल। प्रदेश के राज्य सहकारी बैंक में इन दिनों अन्जाम दी जा रही कंप्यूटर खरीद पर गम्भीर सवाल उठ खड़े हुये हैं। राज्य सहकारी कृषि एंव ग्रामीण विकास बैंक तथा जिला शिमला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने प्रैस को जारी एक ब्यान में इस कंप्यूटर खरीद को एक बड़ा घोटाला करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बैंक में 1998-99 में कंप्यूटराइजेशन शुरू हुई थी और उसके बाद से बैंक का सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। जब कभी कोई कंप्यूटर खराब होता था उसे रिपेयर करवा लिया जाता था। कभी कभार ही किसी कंप्यूटर को रिपलेस करवाने की नौबत आती थी।

लेकिन अब प्रबन्धन ने सारे कंप्यूटर एक मुश्त नये खरीदने का फैंसला लिया है। नया कंप्यूटर 53,550 रूपये में खरीदा जा रहा है लेकिन इसी कंपनी को पूराना कंप्यूटर जो कि ठीक चालू हालत में है महज़ 1200 रूपये में दिया जाता है। जबकि इसी पुराने कंप्यूटर को यह कंपनी 7000 से 9000 के बीच बेच रही है इसी तरह के पुराने प्रिंटरज़ जो कि 13120, 24805 और 28665 रूपये में खरीदे गये थे अब 300 और 200 रूपये मे इसी कंपनी को दिये जा रहे हैं। पुराना स्कैनर 50 रूपये में दिया जा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि जब कंपनी पुराने कंप्यूटरों को बैंक से महज़ 1200 रूपये में लेकर सात से नौ हजार के बेच रही है तो इस काम को बैंक ने अलग से स्वतन्त्र में क्यों नही किया। पुराने कंप्यूटरों में ही कई लाख का गोल माल होने का आरोप है। नये कंप्यूटरों की खरीद करोड़ों की है। इसकी निविदाओं को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब पुराने कंप्यूटर ठीक काम कर रहे थे तो फिर उन्हे एक मुश्त ही बदलने का फैंसला क्यों लिया गया। आरोप यह भी है कि बैंक की खरीद शाखा में तैनात कर्मचारी लम्बे अरसे से उसी जगह पर तैनात है। प्रबन्धन उन्हे बदलने का साहस ही नहीं कर पाता है। बैंक में हर वर्ष कई करोड़ों की खरीद को यही लोग अंजाम देते आ रहे हैं। खरीद के लिये अपनाई जा रही प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में हैं। खरीद शाखा के स्टाफ को छोड़कर बाकी सभी शाखाओं का स्टाफ बदलता रहता है। बैंक में भी आम चर्चा है कि इन लोगों को यहां से बदलना आसान नहीं है। यदि इस शाखा के स्टाफ को बदलकर इसके माध्यम से की गई खरीद की गहन जांच की जाये तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। कुछ लोगों के बारे में तो यहां तक चर्चा है कि उन्होने इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली है जो उनकी आय के स्त्रोत से कहीं अधिक है।

पिछले दिनों बैंक मे हुई भर्तीयों को लेकर भी शेर सिंह चौहान ने गंभीर आरोप लगाये हैं। इन आरोपों का प्रबन्धन की ओर से कोई सार्वजनिक जवाब नहीं आया है। बल्कि चौहान के खिलाफ ही किसी बहुत पुराने मुद्दे को कुरेद कर कुछ निकालने के लिये विजिलैंस को सक्रिय किया गया है। दूसरी ओर माना जा रहा है कि बैंक में खरीद के नाम पर, भर्तीयों के नाम पर और रिपेयर के नाम पर जो करोड़ो के गोल-माल होने की आशंका बैंक में आम चर्चित है उसको लेकर विधिवत शिकायत कभी भी होने की संभावना है। चर्चा है कि शीर्ष प्रबन्धन में बैठे कुछ बड़े लोगों ने कुछ होटलों और विद्युत परियोजना के लिये दिये गये ऋणों की वसूली में बैंक को भारी नुकसान पंहुचाया है। इन लोगों ने जो संपत्तियां अर्जित कर रखी है उनको लेकर भी बड़े खुलासे सामने आने की संभावना है।